न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 163 / 2022

1 चौथमल पुत्र कन्हीराम उम्र 60 साल जाति माली निवासी मिया साहब वाला कुआ नारनौल रोड़ नजदीचक भोदन पुलिया सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.।
2 नागरमल आयु 54 साल पुत्र कन्हीराम जाति माली निवासी ढाणी मस्तावाली तन सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।

अपीलांटस

बनाम

1 सुरेन्द्र कुमार आयु 40 साल पुत्र सुगनाराम जाति माली निवासी मिया साहब वाला कुआ नारनौल रोड़ नजदीक भोदन पुलिया सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.।
2 किशनलाल आयु 38 साल पुत्र सुगनाराम जाति माली निवासी सिंघाना हाल आबाद चंवरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
3 मुनेश कुमार आयु 35 साल पुत्र सुगनाराम जाति माली निवासी ढाणी मस्तावाली तन सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।
4 रामस्वरूप आयु 56 साल पुत्र कन्हीराम जाति माली निवासी मिया साहब वाला कुआ नारनौल रोड़ नजदीक भोदन पुलिया सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.।
5 मालाराम आयु 50 साल पुत्र कन्हीराम जाति माली निवासी ढाणी मस्तावाली तन सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।
6 बंशीधर आयु 48 साल पुत्र कन्हीराम जाति माली निवासी मिया साहब वाला कुआ नारनौल रोड़ नजदीक भोदन पुलिया सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.।
7 करण सिंह पुत्र चुन्नीलाल आयु 50 साल जाति माली निवासी मिया साहब वाला कुआ नारनौल रोड़ नजदीक भोदन पुलिया सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

8 जगदीश प्रसाद पुत्र चुन्नीलाल आयु 45 साल जाति माली निवासी मिया साहब वाला कुआ नारनौल रोड़ नजदीक भोदन पुलिया सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.।
9 जमना देवी पुत्री चुन्नीलाल पत्नी दौलतराम जाति माली निवासी टीबा बसई तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
10 रामवतार पुत्र चुन्नीलाल आयु 60 साल जाति माली निवासी मिया साहब वाला कुआ नारनौल रोड़ नजदीक भोदन पुलिया सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.।
11 भरत सिंह पुत्र चुन्नीलाल आयु 58 साल जाति माली निवासी मिया साहब वाला कुआ नारनौल रोड़ नजदीक भोदन पुलिया सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.।
12 संतरा देवी पुत्री चुन्नीलाल पत्नी चन्दगीराम जाति माली निवासी सुलताना तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
13 महावीर पुत्र सूरजाराम उम्र 62 साल जाति जाति माली निवासी सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।
14 श्यामसुन्दर पुत्र सुरजाराम आयु 58 साल जाति माली निवासी मिया साहब वाला कुआ नारनौल रोड़ नजदीक भोदर पुलिया सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.।
15 शीशराम पुत्र रामकुमार जाति गुर्जर निवासी हमीरवास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.।
16 आईसीआईसीआई बैंक शाखा बुहाना जरिये शाखा प्रबंधक।
17 भूमिधारक तहसीलदार बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.।
18 मोहनलाल उम्र 36 साल पुत्र टीकूराम जाति माली निवासी ढाणा तन सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 27.09.2022 उनवानी प्रकरण सुरेन्द्र वगै. बनाम चौथमल वगै. मु.नं. 173/2020 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुन्झुनूं।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी • सीकर •

अपील संख्या 146/2022

1 चौथमल पुत्र कन्हीराम उम्र 60 साल जाति माली निवासी मिया साहब वाला कुआ नारनौल रोड़ नजदीक भोदन पुलिया सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.।
2 नागरमल आयु 54 साल पुत्र कन्हीराम जाति माली निवासी ढाणी मस्तावाली तन सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।

अपीलांटस

बनाम

1 सुरेन्द्र कुमार आयु 40 साल पुत्र सुगनाराम जाति माली निवासी मिया साहब वाला कुआ नारनौल रोड़ नजदीक भोदन पुलिया सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.।
2 किशनलाल आयु 38 साल पुत्र सुगनाराम जाति माली निवासी सिंघाना हाल आबाद चंवरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
3 मुनेश कुमार आयु 35 साल पुत्र सुगनाराम जाति माली निवासी ढाणी मस्तावाली तन सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।
4 रामस्वरूप आयु 56 साल पुत्र कन्हीराम जाति माली निवासी मिया साहब वाला कुआ नारनौल रोड़ नजदीक भोदन पुलिया सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.।
5 मालाराम आयु 50 साल पुत्र कन्हीराम जाति माली निवासी ढाणी मस्तावाली तन सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।
6 नागरमल आयु 54 साल पुत्र कन्हीराम जाति माली निवासी ढाणी मस्तावाली तन सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।
7 बंशीधर आयु 48 साल पुत्र कन्हीराम जाति माली निवासी मिया साहब वाला कुआ नारनौल रोड़ नजदीक भोदन पुलिया सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

8 करण सिंह पुत्र चुन्नीलाल आयु 50 साल जाति माली निवासी मिया साहब वाला कुआ नारनौल रोड़ नजदीक भोदन पुलिया सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.।

9 जगदीश प्रसाद पुत्र चुन्नीलाल आयु 45 साल जाति माली निवासी मिया साहब वाला कुआ नारनौल रोड़ नजदीक भोदन पुलिया सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.।

10 जमना देवी पुत्री चुन्नीलाल पत्नी दौलतराम जाति माली निवासी टीबा बसई तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।

11 रामवतार पुत्र चुन्नीलाल आयु 60 साल जाति माली निवासी मिया साहब वाला कुआ नारनौल रोड़ नजदीक भोदन पुलिया सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.।

12 भरत सिंह पुत्र चुन्नीलाल आयु 58 साल जाति माली निवासी मिया साहब वाला कुआ नारनौल रोड़ नजदीक भोदन पुलिया सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.।

13 संतरा देवी पुत्री चुन्नीलाल पत्नी चन्दगीराम जाति माली निवासी सुलताना तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।

14 महावीर पुत्र सूरजाराम उम्र 62 साल जाति जाति माली निवासी सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।

15 श्यामसुन्दर पुत्र सुरजाराम आयु 58 साल जाति माली निवासी मिया साहब वाला कुआ नारनौल रोड़ नजदीक भोदर पुलिया सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.।

16 शीशराम पुत्र रामकुमार जाति गुर्जर निवासी हमीरवास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.।

17 आईसीआईसीआई बैंक शाखा बुहाना जरिये शाखा प्रबंधक।

18 भूमिधारक तहसीलदार बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 19.07.2022
उनवानी प्रकरण सुरेन्द्र वगै. बनाम चौथमल वगै. मु.नं.
173/2020 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुन्झुनूं

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री राजकुमार सैनी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री मनोहरलाल सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री संदीप बिजारिणयां, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 20/6/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना द्वारा मुकदमा नम्बर 173/2020 में पारित निर्णय दिनांक 19.07.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। दोनों पत्रावलियों में पक्षकार व विवादित भूमि समान होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति पृथक—पृथक रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 ने एक वाद खाता विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 199, 201, 202, 607, 608, 203 वाके ग्राम सिंघाना का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री जारी कर दी। इससे व्यथित होकर यह अपील संख्या 146/2022 धारा 5 व अपील संख्या 163/2022 प्रस्तुत की गई है। उभयपक्ष को प्रार्थना आदेश 01 नियम 10 सीपीसी व अंतिम बहस पर सुना गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि भूमि खसरा नम्बर 199 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 201 रकबा 1.26 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 202 रकबा 0.70 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 607 रकबा 1.54 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 608 रकबा 0.05 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 3.65 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 203 रकबा 2.00 हैक्टेयर में बाहमी बंटवारा व हिस्से अनुसार बंटवारा के अनुसार प्राथमिक डिक्री व उसी अनुसार अंतिम डिक्री जारी की जानी चाहिए थी। उक्त अनुसार अंतिम डिक्री जारी न कर निर्णय पारित करने में भूल कानूनी की है। विचारण न्यायालय ने दिनांक 19.07.2022 को ही अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

नम्बर 1 लगायत 5 के अलावा अन्य रेस्पोडेन्टस के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही व जवाबदेही बन्द की जाकर उसी रोज बहस सुनी जाकर उसी रोज निर्णय पारित कर दिया गया। जिससे प्रतीत होता है कि विचारण न्यायालय ने सभी कार्यवाही कर एक दिन में ही सम्पादित कर अपीलान्ट को न्याय से वंचित करने की मंशा स्पष्ट रूप से जाहिर होती है। न्याय किया ही नहीं जाना चाहिए, बल्कि न्याय होते हुए दिखना चाहिए। उक्त न्याय के सिद्धान्त पर गौर न कर निर्णय पारित करने में भूल कानूनी की है। पटवारी हल्का व गिरदावर हल्का ने बिना मौके पर गये अपनी मनमर्जी से वादीगण के कहे अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर केवल रामस्वरूप, बंशीधर, सुरेन्द्र के ही हस्ताक्षर करवाकर विभाजन प्रस्ताव की खानापूर्ति कर ली गई। मौके की सम्पूर्ण स्थिति बदल दी गई। जबकि प्रतिवादी मालाराम के भू-खण्ड पर कन्हीराम व श्रवणी देवी की प्रतिमा लगी हुई है, उसका कोई जिक्र विभाजन प्रस्ताव में नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय ने वादीगण/रेस्पोडेन्टस नम्बर 1 लगायत 3 के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार किया है इसलिए भी विचारण न्यायालय का काबिले खारिज होने योग्य है। विभाजन प्रस्ताव आने के बाद पक्षकारान को सुनकर ही अंतिम डिक्री बनाये जाने का कानूनी प्रावधान है जबकि विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 27.09.2022 को विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुये और उसी रोज अंतिम डिक्री वादीगण के प्रभाव में आकर बनाई गई है। जो विधि विरूद्ध होने के कारण खारिज होने योग्य है। रेस्पोडेन्टस नम्बर 5 मालाराम की दिमागी हालत खराब है व बोलने में असमर्थ है, राज्य सरकार द्वारा उक्त मालाराम को बी.पी.एल. में चयनित किया गया है। वादीगण/रेस्पोडेन्टस नम्बर 1 लगायत 3 मालाराम की दिमागी हालत का नाजायज फायदा उठाकर उसकी जमीन को हड़पने के लिए अपनी मर्जी से विभाजन प्रस्ताव बनाकर अंतिम डिक्री जारी करवाई गई है, जो विधि विरूद्ध होने के कारण काबिले खारिज होने योग्य है। जानकारी से अंदर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि विरूद्ध है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 की ओर से खाता विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

का वाद प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय में अपीलान्ट प्रतिवादी संख्या 1 चौथमल की तामील उसके पुत्र पर एवं नागरमल प्रतिवादी संख्या 4/अपीलान्ट की तामील उसके भाई पर सम्यक रूप से हुई है। विचारण न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 1 की जरिये वकील उपस्थिति रही है। प्रतिवादी संख्या 4 के बावजूद तामील अनूपस्थित रहने पर विधि अनुसार एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर विभाजन की प्राथमिक डिक्री दिनांक 19.07.2022 को जारी की गई। विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर बाद सुनवाई दिनांक 27.09.2022 को विभाजन की अंतिम डिक्री जारी की गई है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रकिया की पालना कर विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित की है। अपीलांट द्वारा प्राथमिक डिक्री की अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट मियाद का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक डिक्री की अपील के साथ प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कंडोन किया जाता है व प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सीपीसी न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 2, 3 व 5 की आरे से प्रतिदावा प्रस्तुत किये जाने का आदेशिका दिनांक 19.07.2022 में अंकन है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया अनुसार वाद कथन जवाब दावे, प्रतिदावे के आधार पर तनकी कायम किये बिना साक्ष्य प्राप्त किये बिना प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी कर विधिक त्रुटि की है।

यहां यह भी विचारणीय है कि विचारण न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री की पालना में आदेशिका के अनुसार दिनांक 27.09.2022 को तहसीलदार बुहाना से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने का अंकन है एवं इसी

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

दिन विचाराधीन अंतिम डिक्री जारी की गई है। इसके उपरांत की आदेशिका दिनांक 30.09.2022 में अंकन है कि तहसीलदार बुहाना के पत्र क्रमांक एलआर/22/2597 दिनांक 30.09.2022 के द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक (प्राथमिक डिक्री) 19.07.2022 की पालना में इस कार्यालय द्वारा दिनांक 27.09.2022 को भिजवाये गये विभाजन प्रस्ताव का एक पृष्ट संहवन से संलग्न रह गया जिसके अभाव में न्यायालय द्वारा दिनांक 27.09.2022 को अंतिम डिक्री जारी हो गई। उक्त पृष्ट निर्णय का अभिन्न भाग है और अंतिम डिक्री के शामिल किया जाना अति आवश्यक है। जिसके अभाव न्यायालय श्रीमान जी के निर्णय व डिक्री की पालना किया जाना संभव नहीं होगा। इसके उपरांत विचारण न्यायालय ने आदेशिका में अंकित किया है कि तहसीलदार को सुना गया। विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया। विचारण न्यायालय ने तहसीलदार बुहाना के पत्र क्रमांक 2597 दिनांक 30.09.2022 के अनुसार विभाजन प्रस्ताव संलग्न करने के आदेश देकर अ–4ए व विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श–अ–4 लाल स्याही से नोट लगाया जाने का आदेश दिया है। विचारण न्यायालय की आदेशिका के इस अंकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया की पालना किये बिना, विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किये बिना, पक्षकारों की सुनवाई किये बिना विचाराधीन अंतिम डिक्री पारित की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन अंतिम डिक्री को विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि विधिक प्रक्रिया अनुसार पक्षकारान का जवाब दावा प्राप्त कर तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष की उपस्थिति में तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त करना सुनिश्चित करें। तदुपरांत प्रकरण में अंतिम डिक्री पारित की जावें। प्रस्तुत प्रकरण विभाजन का है अतः विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में किसी प्रकार क अस्थाई व्यादेश जारी कर किसी सहखातेदार को कृषि भूमि के उपयोग उपभोग एवं राजकीय लाभ प्राप्त करने से प्रतिबंधित नहीं

अनिल कुमार RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

किया जावें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.07.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 20/6/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर